भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *137
31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

भारत चावल का आवंटन

***137. श्री राजेश रंजन:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), केन्द्रीय भंडार और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को भारत चावल का आवंटन किन निबंधन और शर्तों पर किया गया है;
(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी मात्रा में भारत चावल आवंटित किया गया है; और
(ग) भारत चावल के संबंध में नैफेड, केन्द्रीय भंडार और एनसीसीएफ के विरुद्ध सरकार को मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 31.07.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *137 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) {ओएमएसएस (डी)} नीति के तहत सब्सिडीयुक्त दरों पर सामान्य उपभोक्ताओं को चावल प्रदान करने की दृष्टि से तीन केन्द्रीय सहकारी संगठनों नामत: भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), केन्द्रीय भंडार और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) लिमिटेड के माध्यम से भारत चावल की बिक्री की जा रही है। भारत चावल की बिक्री के लिए तीनों संगठनों को आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाता है:-

i. तीन संगठनों द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक भारतीय खाद्य निगम से उठाए गए स्टॉक के लिए भारत चावल की बिक्री हेतु एमआरपी 29 रुपए/किलोग्राम तथा इसके बाद उठाए गए स्टॉक के लिए 34 रुपए/किलोग्राम से अधिक नहीं होगी।
ii. चावल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के थैलों में बेचे जाएंगे।
iii. चावल की ब्रांडिंग 'भारत चावल' को देवनागरी लिपि में दर्शाते हुए की जाएगी और थैले के दोनों तरफ 'भारत राइस' अंग्रेजी के साथ संगत स्थानीय भाषा में इसका अनुवाद आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
iv. तीन संगठनों द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक भारतीय खाद्य निगम से उठाए गए स्टॉक के लिए चावल का निर्गम मूल्य 18.59 रुपए प्रति किलोग्राम तथा इसके बाद उठाए गए स्टॉक के लिए यह 22 रुपए प्रति किलोग्राम होगा।
v. धान की खरीद अवधि के दौरान तीन संगठनों के लिए चावल के आवंटन/बिक्री की अनुमति खरीद और खपत वाले क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी।
vi. संगठन भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की आपूर्ति के लिए भुगतान चावल की उठान की तारीख से 10 दिनों के भीतर करेंगे।
vii. दिनांक 30.06.2024 के बाद उठाए गए स्टॉक के लिए प्राईवेट मिलरों के माध्यम से भारत चावल की बिक्री की अनुमति नहीं है।

(ख): आज तक तीन संगठनों को आबंटित भारत चावल की मात्रा:

नेफेड - 5,00,500 टन
केंद्रीय भंडार - 6,99,500 टन
एनसीसीएफ - 5,50,000 टन

(ग): भारत चावल के लिए आबंटित चावल का खुले बाजार में कथित विपथन से संबंधित दिनांक 29.02.2024 का एक पत्र प्राप्त हुआ था। इन तीनों संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों और भारतीय खाद्य निगम की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की जांच की गई थी और आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई।

*****